फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

86-बी, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 11.2.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जनवरी, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ जनवरी, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(एस.एस. बारा)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष: 23034844

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के □□□ निजी सचिव।
8. सचिव □□ □□□□ □□□□/संयुक्त सचिव के □□□□□□□□ □□□□□।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का जनवरी, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर संसद के दोनों सदनों और दूसरी ओर सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। जनवरी, 2021 मास के दौरान निम्नलिखित विधायी कार्य निष्पादित किया गया:-

I. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक

संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार, 1 जनवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि:-

क. संसद के दोनो सदनों को बजट सत्र, 2021 के लिए शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 से बुलाया जाए और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए सत्र को गुरूवार, 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त किया जाए;

ख. दोनों सदनों को सोमवार, 8 मार्च, 2021 को पुन: समवेत होने के लिए सोमवार, 15 फरवरी, 2021 से मध्यावकाश हेतु स्थगित कर दिया जाए;

[*लोक सभा और राज्य सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने क्रमश: 29.1.2021 और 31.1.2021 को आयोजित अपनी बैठकों में निर्णय लिया कि सोमवार, 15 फरवरी, 2021 को नियत बैठक को निरस्त कर दिया जाए और उसके बदले में, दोनों सदनों की शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को बैठक की जाए। तदनुसार, दोनों सदनों के 15.2.2021 के स्थान पर 13.2.2021 को स्थगित किए जाने की संभावना है*]

ग. राष्ट्रपति शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित करें; और

घ. वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट लोक सभा में सोमवार, 1 फरवरी, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाए और बजट के प्रस्तुतिकरण/पटल पर रखे जाने के पश्चात अपने-अपने सदनों को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए।

II. सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए बैठक

माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री ने आगामी बजट सत्र, 2021 (17वीं लोक सभा का 5वां सत्र और राज्य सभा का 253वां सत्र) के लिए सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार, 19 जनवरी, 2021 को आभासी माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

III. बजट सत्र, 2021 (17वीं लोक सभा का 5वां सत्र और राज्य सभा का 253वां सत्र) की शुरूआत

बजट सत्र, 2021 (17वीं लोक सभा का 5वां सत्र और राज्य सभा का 253वां सत्र) 29 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ।

IV. राष्ट्रपति का अभिभाषण

□□□□ □□ राष्ट्रपति ने 29 जनवरी, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया।

2. **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से दिसंबर, 2020 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96630 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56799 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 2078 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 883 आश्वासन लंबित हैं।

जनवरी, 2021 मास के दौरान, 15 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 10 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

3. **डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन**

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

जनवरी, 2021 के दौरान, कोविड महामारी के मद्देनजर, अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 2330 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

4. **लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

□□□□□, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

स्थिति	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
मास के दौरान उठाए गए मामले	शून्य	शून्य
इस माह में लंबित मामले	62	279
प्राप्त उत्तर	25	81
शेष मामले	37	198

5. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर

अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है। स्कीम के अनुसार, राज्यों को अपने विधायी सदनों को "डिजिटल सदनों" के रूप में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे राज्य सरकार के विभागों के साथ कागज रहित मोड में सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर निष्पादित करने में सक्षम हो सकें।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

जनवरी, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर बिहार (दोनों सदन - विधानसभा और परिषद), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा), बिहार (विधान परिषद) और नागालैंड के लिए नेवा परियाजना मंजूर की जा चुकी है। निधियों में केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त भी इन राज्यों को अपने विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन के लिए जारी की जा चुकी है।

जनवरी, 2021 के दौरान -

i. मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई है और राज्य सरकार को उनकी विधानसभा में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों की पहली किस्त जारी की गई।
ii. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सहित सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा ओडिशा विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति पर ओडिशा सरकार और विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली गई।

6. <u>परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन</u>

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

जनवरी, 2021 मास के दौरान एक संसद सदस्य □□ □□□ उनका देहांत हो जाने के कारण परामर्शदात्री समिति से हटाया गया। इसके अलावा, जनवरी, 2021 के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 14 बैठकें आयोजित की गई। विस्तृत विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

7. <u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>

जनवरी, 2021 मास के दौरान, राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 155 विद्यालयों के पंजीकरण □□ समीक्षा की गई और इनमें से 33 स्कूलों को अनुमोदित किया गया।

8. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1736 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa_india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 4401 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 36659 हो गई है।